



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092025-266324  
CG-DL-E-23092025-266324

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4153]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2025/भाद्र 31, 1947

No. 4153]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025/BHADRA 31, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2025

**का.आ. 4271(अ).—**केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1955 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 353-जे के कि.मी. 13.000 से कि.मी. 62.900 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार-लेन का बनाने / छह लेन का बनाने, आदि) एन एच (ओ) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है. उक्त अधिनियम की धारा 3-ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् "उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी, नागपुर (ग्रामीण)" को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात्, तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3-ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में एनएच (ओ) के अंतर्गत ईपीसी मोड पर एनएच-353जे के नागपुर- काटोल खंड पर कि. मी. 13.000 से कि.मी 62.900 तक (डिजाईन चेनेज) चार लेन का निर्माण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नागपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नागपुर (ग्रामीण)					
गांव का नाम: येरला					
1	Gaothan	निजी (निजी)	आबादी	0.0073 (हेक्टेयर)	0.0073
Total					0.0073

[फा. सं. NHAI/PIU/NGP-2/NK/LA/3(a)/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2025

**S.O. 4271(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land of the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/Four-Six laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 353-J in the stretch of land from Km. 13.000 to Km. 62.900 in the District of Nagpur in the state of Maharashtra-NH(O) hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely the **Sub Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Nagpur (Rural)**, in writing and shall set out the grounds thereof and the said competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person, at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

Construction of Four Lane of Nagpur- Katol section of NH-353J from Km. 13.000 to Km. 62.900 (Design Chainage)  
in the State of Maharashtra under NH (O) on EPC mode

<b>State: MAHARASHTRA</b>			<b>District: NAGPUR</b>		
<b>Sl. No.</b>	<b>Survey/Plot Number</b>	<b>Type of Land</b>	<b>Nature of Land</b>	<b>Area (in Local Unit)</b>	<b>Area (in Hectares)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Taluk: Nagpur (Rural)</b>					
<b>Village: Yerla</b>					
1	Gaothan	Private	Abadi	0.0073 (Hectare )	0.0073
<b>Total</b>					<b>0.0073</b>

[F. No. NHAI/PIU/NGP-2/NK/LA/3(a)/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director